GCMS - २०२४/३९०

APP-A

Crim-I

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

सरकार बनाम नरेन्द्र चौहान

किस्म मुकदमा 136 नं. 39 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
18/11/24	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। जॉच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना पत्र पर बहस कर प्रार्थना पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 28/11/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोटा	
28/11/24	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रसूलपुर वर्तमान खाता संख्या 288 में खातेदार नरेंद्र चौहान पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/2 दो बार दर्ज है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से पूर्व जमाबंदी ग्राम रसूलपुर के खाता संख्या 288 में सह खातेदार चंद्रकला पत्नी दिनेश कुमार सैनी हिस्सा 1/2 एवं नरेंद्र चौहान पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/2 दर्ज रिकॉर्ड था। मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.10.2024 के अनुसार चंद्रकला पत्नी दिनेश कुमार सैनी ने अपने निहित हिस्सा 1/2 का बेचान सहखातेदार नरेंद्र चौहान पुत्र रामस्वरूप को कर दिया था। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार जमाबंदी में नरेंद्र चौहान पुत्र रामस्वरूप का खाता संख्या 288 ग्राम रसूलपुर में पूर्ण हिस्सा दर्ज होना उचित है। यहां यह स्पष्ट है कि ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया द्वारा दो बार इंद्राज हुआ है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि उक्त इंद्राज ऑनलाइन म्यूटेशन प्रकिया द्वारा हुआ है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार जमाबंदी में नरेंद्र चौहान पुत्र रामस्वरूप का खाता संख्या 288 ग्राम रसूलपुर में पूर्ण हिस्सा दर्ज होना उचित है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर ग्राम रसूलपुर का खाता संख्या 288 में खातेदार नरेंद्र चौहान पुत्र रामस्वरूप का हिस्सा पूर्ण दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो (मुहर: उपखण्ड अधिकारी कोटा) गजेन्द्र सिंह उपखण्ड अधिकारी कोटा	